



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19103/2026

हरिवंशलाल उर्फ कुंदन

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता :

आदर्श द्विवेदी, देवदत्त, मयंक

कृष्ण सिंह चंदेल, विनोद कुमार चंदेल

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार चंदेल और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका केस संख्या 0022/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना- चिल्ला, जिला- बांदा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है, हालांकि, अपीलार्थी के मोबाइल में ऐसी कोई (नग्न) तस्वीर नहीं है जिसका उल्लेख प्रथम सूचनादाता और अन्य गवाहों के बयान में किया गया है और पुलिस को अपीलार्थी के मोबाइल में कोई चैट या आपत्तिजनक तस्वीर नहीं मिली है। आगे यह भी कहा गया है कि वास्तव में अपीलार्थी और मृतक संबंध में थे और जब मृतक के माता-पिता को इस संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने मृतक को डांटा, जिसके बाद अपीलार्थी ने मृतक से बात करना बंद कर दिया और इसी कारण

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतक ने आत्महत्या कर ली, इसलिए अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी 17.02.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मृतक की नग्न तस्वीर अपीलार्थी के मोबाइल से बरामद नहीं हुई है और अपीलार्थी और मृतक के बीच हुई बातचीत को दर्शाने वाली कोई सीडीआर भी नहीं है। साथ ही, यह भी तथ्य है कि मृतक की कोई नग्न तस्वीर हटाए जाने की पुष्टि के लिए अपीलार्थी का मोबाइल फॉरेंसिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को नहीं भेजा गया था।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, साथ ही, नग्न फोटो के आधार पर लगातार परेशान करने के आरोप को आवेदक को फंसाने के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और मृतक के मोबाइल फोन फॉरेंसिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नहीं भेजे गए थे और न ही कोई सीडीआर इकट्ठा किया गया था, तथा जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन 2025 एससीसी ऑनलाइन 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है। तदनुसार, जमानत की अर्जी **मंजूर** की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **हरिवंशलाल उर्फ कुंदन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की निकाली गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी संबंधित अधिवक्ता द्वारा पुष्टि की जाएगी और इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-कारागार पोर्टल द्वारा और निचली अदालत को ई-मोड द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023 को लिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बानाम

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026 को लिया गया था।

12. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने जांच करने में घोर लापरवाही बरती है, क्योंकि उन्होंने न तो अपीलार्थी का मोबाइल फॉरेंसिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (पुलिस जांच रिपोर्ट) के लिए भेजा ताकि कोई नग्न फोटो बरामद की जा सके और न ही मृतक और अपीलार्थी के मोबाइल फोन की कोई सीडीआर बरामद की गई ताकि घटना से पहले उनके बीच हुई बातचीत का पता लगाया जा सके।

13. इसलिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच अधिकारी के विरुद्ध जांच करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

14. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को अनुपालन हेतु भेजें।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 जून, 2026

सीएस/-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।